न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीपसिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 8 / 2022 (बांसवाड़ा डिकी)

1. चुनिया पिता जीवा, जाति भील, निवासी कालिया पंडवाल, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. नाथु पिता तेजसिंग, जाति भील, निवासी कालिया पंडवाल, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. कोमचन्द पिता लखजी, जाति भील, निवासी कालिया पंडवाल, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
4. रामचन्द्र पिता लखजी, जाति भील, निवासी कालिया पंडवाल, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. तोलिया पिता फुलजी, जाति भील, निवासी कालिया पंडवाल, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. वेलजी पिता फुलजी, जाति भील, निवासी कालिया पंडवाल, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. प्रभू पिता फुलजी, जाति भील, निवासी कालिया पंडवाल, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
4. श्रीमती कला बेवा फुलजी, जाति भील, निवासी कालिया पंडवाल, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
5. मृतक खातु पिता पन्ना, जाति भील, निवासी कालिया पंडवाल, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा के बजाय :–

5/1. देवीलाल पिता खातु, जाति भील, निवासी कालिया पंडवाल, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

5/2. मना पिता खातु, जाति भील, निवासी कालिया पंडवाल, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

5/3. मोहन पिता खातु, जाति भील, निवासी कालिया पंडवाल, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

5/4. श्रीमती मेरी बेवा खातु, जाति भील, निवासी कालिया पंडवाल, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

6. श्रीमती ऐतरी पत्नी कोमचन्द, जाति भील, निवासी कालिया पंडवाल, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
7. श्रीमती मंजुला पत्नी रामचन्द्र, जाति भील, निवासी कालिया पंडवाल, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:30:11 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर (राज.)

8. श्रीमती मेरी पत्नी खातु, जाति भील, निवासी कालिया पंडवाल, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ़
दिनांक 21.05.2013, प्र.सं. 65/2011

----/----

उपस्थित (वक्त बहस) 1- श्री जयेन्द्र पुरोहित अभिभाषक अपीलान्टगण
2- श्री समर पण्डया अभिभाषक रेस्पो.सं. 1 से 4

---::---

निर्णय दिनांक 20-02-2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कालीया में कृषि आराजी नंबर 22, 40/38, 93/19, 94/21, 95/39, 96/47 कुल किता 6 रकबा 10 बीघा 1 बिस्वा भूमि स्थित है, जो वादीगण के खातेदारी की होकर वादी काबिज है। आराजी नंबर 22 पर प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करते हैं तथा जबरन अतिक्रमण करने पर आमादा हैं। अतः प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण अपने निर्णय दिनांक 21-05-2013 से वादी का वाद स्वीकार कर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 23-05-2022 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 की ओर से अभिभाषक श्री समर पण्डया उपस्थित हुए, जबकि शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट ने अपील के साथ मियाद अधिनियम की धारा 5 पर बहस करते हुए बताया कि अपीलान्टगण को दा[illegible] युक्ति युक्त व सम्यक रूप से तामिल नहीं हुए [illegible] भी अधिनस्थ [illegible] अपीलान्टगण की

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:30:11 IST
Reason: SelfAttested

उदयपुर
मु. राजस्व अधिकारी
राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

तामिल मानकर दिनांक 23–04–2012 को उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित कर दिया, जिससे अपीलान्ट को निर्णय व डिकी की जानकारी नहीं हो सकी। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 ने उक्त निर्णय व डिकी की पालना हेतु वर्ष 2022 में इजराय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसके नोटिस प्राप्त होने पर अपीलान्ट/प्रार्थीगण को उक्त निर्णय व डिकी की जानकारी हुई। अतः अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिकी दिनांक 21–05–2013 के विरूद्ध अपीलान्टगण द्वारा अपील दिनांक 23–05–2022 को प्रस्तुत की गयी है, जो 8 वर्ष 10 माह विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है एवं इसके लिए जो कारण बताया है, वह इतने अधिक विलम्ब के लिए न तो उचित कारण प्रतीत होता है एवं न ही इतने वर्ष विलम्ब के लिए कोई पर्याप्त कारण हैं। तदनुसार अपील बेरून मयाद होने से मात्र इसी आधार पर खारिज योग्य है।

जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, अभिभाषक अपीलान्ट ने निवेदन किया कि विवादित आराजी नंबर 22 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा पर उनका कब्जा अपने पूर्वजों के समय से चला आ रहा है तथा उक्त भूमि अपीलान्टगण के खसरा नंबर 20 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा से लगती हुई भूमि है, जिस पर वादीगण/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 का कभी भी कब्जा नहीं रहा, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है तथा अपीलान्टगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए एकपक्षीय निर्णय व डिकी जारी कर दी है, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी अपास्त की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि वादी/रेस्पोन्डेन्ट विवादित आराजी नंबर 22 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा बिस्वा के रेकार्डेड खातेदार हैं। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट/प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा ... होने से अपील अपीलान्ट खारिज की ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:30:11 IST
Reason: SelfAttested

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड व निर्णय का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी संवत् 2066 से 2069 अनुसार वादीगण/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 विवादित आराजी नंबर 22 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा बिस्वा का रेकार्डेड खातेदार है, जिस पर अपीलान्टगण अपना पुराना कब्जा होना बताकर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को त्रुटि पूर्ण होने का कथन कर रहे हैं। हम यह पाते हैं कि वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 विवादित आराजी नंबर 22 के रेकार्डेड खातेदार हैं तथा स्वयं अपीलान्टगण के कथनानुसार अपना कब्जा बताने से वादीगण/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी की जाना स्पष्ट है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने रेकार्डेड खातेदार के पक्ष में प्रकरण मानते हुए अपीलान्ट/प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट बेरून मयाद एवं सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 21–05–2013 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक 20–02–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:30:11 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.....मुकाम.....उदयपुर.....
व इजलास .....प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस. .....

चुनिया पिता जीवा भील, निवासी कालिया पंडवाल, त0 सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा व अन्य — बनाम — तोलिया पिता फुलजी भील, निवासी कालिया पंडवाल, तहसील सज्जनगढ़ जिला बांसवाड़ा व अन्य

अपील नं.....8/2022.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी.....
.....सज्जनगढ़ ..... मुकाम.....मुवर्खे.....21.....माह.....05.....2013

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....20....माह.....02.....सन् 2024 रूबरू.....पक्षकारान व हाजरी.....श्री जयेन्द्र पुरोहित....मिनजानिब अपीलान्ट व .....श्री समर पण्डया .....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील अपीलान्ट बेरून मयाद एवं सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 21–05–2013 यथावत रखी जाती है।.

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपये .... X..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... X .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....20....माह.....02.....2024 को जारी किया गया ।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... भीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... भीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:30:11 IST
Reason: SelfAttested